



अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रो० (डा०) दिनेश कुमार
समन्वयक

आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

पत्रांक. cell/.२५६

दिनांक: 10/11/2025

समस्त विभागाध्यक्ष

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

महोदय/ महोदया,

आपको अवगत कराना है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार, विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र एवं छात्राओं, विशेषकर SC/ST/OBC, निर्धन एवं कमजोर वर्ग के छात्र एवं छात्राओं हेतु UGC/CSIR NET/JRF की कोचिंग की व्यवस्था सत्र 2025-26 हेतु आरम्भ की जा रही है जिसके अंतर्गत आप सभी अपने-अपने विभागों के छात्र एवं छात्राओं हेतु UGC NET/JRF की कोचिंग अपने विभागीय स्तर पर शीघ्र आरम्भ कराने का कष्ट करें।

इस कोचिंग शिक्षण कार्य हेतु, इच्छुक विभागीय शिक्षकों/UGC/CSIR NET उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का इस कोचिंग में शिक्षण कार्य हेतु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के माध्यम से, माननीय कुलपति जी से अनुमोदन आवश्यक प्राप्त कर लें।

अनुमोदित शिक्षकों को मानदेय का भुगतान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ हेतु सत्र 2025-26 के स्वीकृत बजट से विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में सभी छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति रिकॉर्ड एवं अन्य समस्त अभिलेख सभी विभाग अपने-अपने विभागीय कार्यालय में ही सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

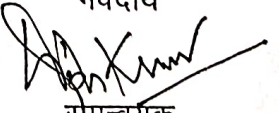
भवदीय

समन्वयक

प्रतिलिपि—

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. छात्र कल्याण अधिष्ठाता महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. वेबसाइट प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय


समन्वयक